माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और एस. एस. सुधालकर, जे. जे.

सुरिंदर सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता

1994 की सी.डब्ल्यू.पी. नं. 18192

8 मई, 1996

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद. 311-पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है)- नियम13.8 (2) और 13.18-हरियाणा सरकार परिपत्र सं. 19626-43/बी-3 दिनांक 9 सितंबर, 1993 और 27926-50/बी-3 दिनांक 21 दिसंबर, 1993—डी.आई.जी. की मंजूरी और पुष्टि के बिना एस.पी. द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी सिपाहियों की पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर 10 प्रतिशत रिक्तियों के मुकाबले तदर्थ और आकस्मिक पदोन्नति- इस तरह की पदोन्नति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर दी जाती है- लॉटर स्कूल कोर्स पास करने वाले योग्य, उन्नत कांस्टेबलों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप किया गया प्रत्यावर्तन - 2 साल की सेवा के पूरा होने के बाद पुष्टि को सक्षम करने वाले नियम 13.18 के संदर्भ में चुनौती दी गई- पदोन्नतियों को हेड कांस्टेबल के पदों को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पदोन्नति नियम 13.8 (2) के अनुसार नहीं थी - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं।

माना गया कि नियम 13.8 (2) के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नियम 13.1 (1) और (2) में वर्णित सिद्धांत के अनुसार की जानी है । नियम 13.8 (2) के दूसरे भाग में उन चयन ग्रेड कांस्टेबलों की पदोन्नति का प्रावधान है जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन जिन्हें अन्यथा उपयुक्त माना जाता है। हालांकि, इस तरह की पदोन्नति केवल पुलिस उप महानिरीक्षक की मंजूरी से दी जा सकती है और इस तरह की पदोन्नति की अधिकतम संख्या रिक्तियों का दस प्रतिशत हो सकती है।

(पैरा 11)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को नियम 13.8 (2) के अधीन पदोन्नत नहीं माना जा सकता है और जैसा कि नियम 13.18 में विचार किया गया है, उन्हें परिवीक्षा पर नियुक्त मानकर स्वचालित रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमारी राय में पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ताओं को वापस करने और याचिकाकर्ता सुरिंदर सिंह आदि को वापस करने के प्रस्ताव में कानूनी रूप से कार्य किया। क्योंकि उनमें से किसी को भी नियम 13.8 (2) के तहत पदोन्नत नहीं किया गया है और उन्हें विशुद्ध रूप से अस्थायी और तदर्थ पदोन्नति दी गई , याचिकाकर्ताओं को मूल हेड कांस्टेबल के रूप में माने जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ताओं की ओर से एस. बल्हारा, अधिवक्ता और एन. के. मल्होत्रा, अधिवक्ता।

आर. एन. रैना, हरियाणा राज्य के लिए उप महाधिवक्ता।

निर्णय

जी. एस. सिंघवी, जे.

(1) इन सभी याचिकाओं में पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.18 की व्याख्या से संबंधित एक समान मुद्दे का निर्धारण शामिल है और चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थनाएं भी समान हैं, इसलिए हम उन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा तय कर रहे हैं।

संक्षिप्त तथ्यः सीडब्ल्यूपी नं. 18192/94:

(2) याचिकाकर्ता सुरिंदर सिंह, जीवन सिंह, रणधीर सिंह और दिलबाग सिंह क्रमशः 2 जनवरी, 1976,1 सितंबर, 1974,14 मई, 1973 और 18 सितंबर, 1979 को हरियाणा पुलिस सेवा में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए। याचिकाकर्ता सुरिंदर सिंह को 30 अप्रैल, 1984 को हेड कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, वर्ष 1992 में उन्हें वापस ले लिया गया। उन्होंने 1992 का सीडब्ल्यूपी नं. 8785 इस आधार पर दर्ज किया कि उनका प्रत्यावर्तन अवैध था। याचिकाकर्ता नं. 1 का कहना है कि इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने उनके प्रत्यावर्तन के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता नं. 2, 3, 4 को क्रमशः 22 अक्टूबर, 1986,4 अक्टूबर, 1985 और 23 अक्टूबर, 1986 को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें भी 2 जून, 1992 से वापस कर दिया गया था। उन्होंने भी जिले सिंह के साथ 1992 का सीडब्ल्यूपी नं. 7602 दर्ज किया, और

खंड पीठ ने 11 जून, 1992 को उनके पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सुरिंदर सिंह को उनकी कड़ी मेहनत और विशिष्टता के कारण हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि अन्य तीन-याचिकाकर्ताओं को उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में पदोन्नत किया गया था और दो साल की सेवा के बाद, उन्होंने *रिशाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य* [1] में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और विद्वान एकल न्यायाधीश के 5 अक्टूबर, 1904 के फैसले को देखते हुए हेड कांस्टेबल के रूप में पुष्टि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था और यहां तक कि 1994 की सी.डब्ल्यू.पी नं. 1225, *जगत सिंह बनाम हरियाणा राज्य* के आधार पर भी । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है-कि नियम 13.18 के संदर्भ में, उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पुष्टीकृत माना जाना चाहिए और पुष्टि की की जानी चाहिए -भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में निहित प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में भेजने में उत्तरदाताओं की विफलता को भी चुनौती दी है उनसे कनिष्ठ अधिकारीयों को इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया है। जवाब में, प्रतिवादियों ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को हरियाणा पुलिस की दूसरी बटालियन में अलग-अलग तारीखों पर नियुक्त किया गया है। उन्हें अस्थायी रिक्तियों के खिलाफ विशुद्ध रूप से तदर्थ पदोन्नति दी गई थी और उन सिपाहियों के लिए जगह बनाने के लिए उन्हें वापस कर दिया गया था जिन्होंने निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। प्रत्यर्थियों ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता नं. 1 एक खिलाड़ी या अंतर-राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का खिलाड़ी नहीं है। याचिकाकर्ताओं नं. 2 से 4 के बारे में , प्रत्यर्थियों ने कहा है कि इन याचिकाकर्ताओं को पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.18 में निर्धारित आवश्यक योग्यता के बिना भी विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। उत्तरदाताओं ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रत्यावर्तन आदेश नियमित रूप से चुने गए व्यक्तियों के लिए जगह बनाने के लिए पारित किया गया था। उत्तरदाताओं ने 11 नवंबर, 1992 को 1992 का सीडब्ल्यूपी संख्या 7601 और 1992 का सीडब्ल्यूपी संख्या 7454 में पारित आदेश पर भरोसा रखा है जो खारिज कर दिया गया था।

(3) यह याचिका सुरिंदर सिंह और चार अन्य लोगों द्वारा भी दायर की गई है जो 1994 का सीडब्ल्यूपी नं. 18192। जिनमें वे यचिकाकर्ता हैं । इस याचिका में उन्होंने दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 के अपने प्रत्यावर्तन के आदेशको चुनौती दी है (अनुलग्नक अनुलग्नक पी-7)। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह आदेश इस उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के स्थगन आदेश की अवहेलना में पारित किया गया है। प्रत्यर्थियों ने यह दलील देकर आक्षेपित आदेश को उचित ठहराया है कि प्रत्यावर्तन का आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया है।

सीडब्ल्यूपी नं. 15985/1995:

(4) याचिकाकर्ता धीरेंद्र सिंह 6 फरवरी, 1984 को हरियाणा पुलिस की दूसरी बटालियन में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। उन्हें 16 जनवरी, 1990 को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्टता के कारण उन्हें यह पदोन्नति दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त करने के बजाय, उन्हें कांस्टेबल के पद पर वापस करने के लिए आदेश अनुलग्नक पी-8 पारित किया गया था। इसे उनके द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 7358/92 में चुनौती दी गई थी,जिसे विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा 23 अगस्त, 1985 को अनुज्ञात किया गया था, प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद तीन महीने के भीतर नए आदेश पारित किये जाये। यचिकाकर्ता का कहना है कि उसे दिनांक 20 अक्टूबर, 1995 को एक करण दर्शक नोटिस दिया गया था और 30 अक्टूबर, 1995 को, उसे कांस्टेबल के पद पर वापस करने का विवादित आदेश फिर से पारित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.8 (2) के संदर्भ में कांस्टेबल के पद पर पुष्टि के रूप में माने जाने का हकदार बन गया है और इसलिए, उसका प्रत्यावर्तन संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

सीडब्ल्यूपी नं. 17164/95:

(5)हेड कांस्टेबल भगवान सिंह और हेड कांस्टेबल चंदर पाल ने फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित 30 अक्टूबर, 1995 के आदेश को रद्द करने के लिए यह याचिका दायर की है। उन्होंने दलील दी है कि उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उत्कृष्ट प्रदर्शन और बहादुरी के सिद्ध कार्य के कारण पदोन्नति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिनांक 27 मई, 1992 के आदेश के अनुसार उन्हें वापस कर दिया गया था जिसे 23 अगस्त, 1995 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था । हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को सही भावना से लागू करने के बजाय, प्रत्यर्थियों ने प्रत्यावर्तन का विवादित आदेश पारित किया है। अपने उत्तर में प्रत्यर्थियों ने यह आरोप लगाते हुए प्रत्यावर्तन के विवादित आदेश को उचित ठहराया है कि याचिकाकर्ताओं को दी गई पदोन्नति उचित नहीं थी।

(6) इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों की जांच करें, यह इंगित करना आवश्यक है कि इनमें से किसी भी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के आदेशों की प्रतियां अभिलेख पर नहीं रखी हैं, हालांकि पक्षों के विद्वान वकील ने ऐसी पदोन्नति की प्रकृति के बारे में मौखिक प्रस्तुतियां दी हैं। 1995 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11747 पर निर्णय लेते समय, इस अदालत ने उस दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा का संज्ञान लिया है जो वर्षों में पक्षों द्वारा बुनियादी और प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण विकसित हुई है और इस तरह अदालत को अनुमान लगाने के लिए मजबूर किया है।

(7) हालांकि, सौभाग्य से हमारे अवलोकन के लिए, सभी याचिकाकर्ताओं का मूल सेवा रिकॉर्ड विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस रिकॉर्ड से पता चलता है कि श्री सुरिंदर सिंह को रोहतक के पुलिस अधीक्षक द्वारा 30 अप्रैल, 1984 को मौजूदा अस्थायी रिक्ति के विरुद्ध हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। । उनकी पदोन्नति को एक विशिष्ट शर्त के साथ पूरी तरह से अस्थायी और आकस्मिक बताया गया था कि वह प्रत्यावर्तन के लिए बिना किसी नोटिस के उत्तरदायी होंगे और इस तरह की तदर्थ पदोन्नति के कारण उन्हें वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं होगा। तत्काल संदर्भ के उद्देश्य से याचिकाकर्ता सुरिंदर सिंह की पदोन्नति का आदेश नीचे दिया गया है: -

ऑर्डर

इस जिले के कांस्टेबल सुरिंदर सिंह नं. 976/आरटीके को एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी और अच्छे एथलीट होने के नाते 30 अप्रैल, 1984 से मौजूदा अस्थायी रिक्ति के खिलाफ तदर्थ आधार पर अस्थायी हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाता है। उनकी पदोन्नति विशुद्ध रूप से अस्थायी और आकस्मिक है। इस अस्थायी और आकस्मिक पदोन्नति से वह बिना किसी सूचना के प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। इस अस्थायी पदोन्नति के कारण वह किसी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है।

एसडी/-
पुलिस अधीक्षक,

रोहतक।
30.4.84. '^

(8) सुरिंदर सिंह के सर्विस रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत करने से पहले पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उप महानिरीक्षक से मंजूरी नहीं ली थी। उन्हें पदोन्नत करने के बाद भी पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित पदोन्नति के आदेश की पुष्टि नहीं मांगी। याचिकाकर्ता जीवन सिंह को फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक ने तदर्थ आधार पर कार्यवाहक हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया था। उनकी पदोन्नति को भी विशुद्ध रूप से अस्थायी के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें एक स्पष्ट शर्त थी कि अस्थायी पदोन्नति के कारण वह किसी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है और वह बिना किसी सूचना के प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी होगा । दिलबाग सिंह के मामले में, पुलिस अधीक्षक ने उन्हें विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने का आदेश पारित किया। इसी तरह की पदोन्नति सिपाही भगवान सिंह को दिनांक 22 सितंबर, 1988 के आदेश के अनुसार दी गई थी । दिलबाग सिंह और भगवान सिंह के मामलों में, पदोन्नति के आदेश उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस आशय की प्रविष्टियां उनकी सेवा पुस्तिकाओं में की गई हैं। याचिकाकर्ता धीरेंद्र सिंह को विशुद्ध रूप से

अस्थायी आधार पर उन्नत रिक्ति के खिलाफ हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीट और उत्कृष्ट पहलवान की वजह से पदोन्नत किया गया था लेकिन एक स्पष्ट शर्त के साथ कि वह बिना किसी सूचना के किसी भी समय वापस किया जा सकता था। रणधीर सिंह को 4 अक्टूबर, 1985 के आदेश के अनुसार तदर्थ पदोन्नति दी गई थी। उनकी पदोन्नति को विशुद्ध रूप से अस्थायी के रूप में इस शर्त के साथ वर्णित किया गया था कि वह उसे वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं होगा और वह बिना किसी सूचना के किसी भी समय वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। 5 जुलाई, 1988 को फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक द्वारा चंद्रपाल सिंह को भी तदर्थ पदोन्नति दी गई थी। उनके आदेश में भी वही शर्त थी जो अन्य याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के आदेशों में शामिल की गई थी। सुरिंदर सिंह के अलावा किसी भी अन्य याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है कि याचिकाकर्ताओं को तदर्थ आधार पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत करने से पहले पुलिस उप महानिरीक्षक की मंजूरी मांगी गई थी और उनकी पदोन्नति के बाद भी पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उप महानिरीक्षक से पदोन्नति के आदेशों की पुष्टि की थी। इनमें से किसी भी मामले में पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.8 का संदर्भ नहीं है।

(9) याचिकाकर्ता के लिए आई. एस. बल्हारा ने प्रथम तर्क यह दिया है कि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हेड कांस्टेबल के पद पर काम करने के बाद, और वे हेड कांस्टेबल के पदों पर पुष्टि के रूप में माने जाने के हकदार हो गए हैं। विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.8 (2) के तहत की गई मानी जाएगी और नियम 13.18 के संदर्भ में हेड कांस्टेबलों के पदों पर उनकी स्वतः पुष्टि की गई मानी जाएगी और नियमित जांच किए बिना प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को वापस नहीं कर सकते। *श्री बल्हारा ने रिशाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* [2], *जगत सिंह बनाम हरियाणा राज्य* [3] और *हरदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य* [4] मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया । श्री बल्हारा का दूसरा तर्क यह है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को असाधारण सराहनीय सेवा के कारण हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया है और उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप जांच किए बिना वापस नहीं किया जा सकता है। श्री बल्हारा का तीसरा तर्क यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा उनकी पहले की रिट याचिकाओं को अनुमति दिए जाने के बाद, पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ताओं के हेड कांस्टेबल के पदों पर बने रहने के दावे की ठीक से जांच नहीं की और उन्होंने यांत्रिक तरीके से प्रत्यावर्तन का विवादित आदेश पारित किया है। माननीय उप महाधिवक्ता ने श्री बल्हारा की दलीलों का विरोध किया और तर्क दिया कि किसी भी याचिकाकर्ता को नियम 13.8 (2) के तहत हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था और इसलिए, उन्हें नियम 13.8 में निर्दिष्ट 10 प्रतिशत रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नत नहीं माना जा सकता है। श्री रैना ने प्रस्तुत किया कि हेड कॉन्सटेबल के पदों के लिए याचिकाकर्ता को दी गई पदोन्नति विशुद्ध रूप से आकस्मिक थे और उनमें से किसी ने भी हेड कॉन्सटेबल के पद पर रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था और

इसलिए, याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावर्तन को न तो मनमाना या अनुचित कहा जा सकता है। श्री रैना ने आगे तर्क दिया कि नियम 13.8 (2) के तहत पदोन्नति पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदन के बाद ही की जा सकती है और ऐसा कोई अनुमोदन पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के मामलों में, उन्हें 10 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तक हेड कॉन्सटेबल के रूप में नहीं माना जा सकता है और वे केवल इसलिए पुष्टि किए गए हेड कॉन्सटेबल के रूप में माने जाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक निश्चित अवधि के लिए हेड कॉन्सटेबल के रूप में कार्य किया है। श्री रैना ने यह भी तर्क दिया कि अन्य कांस्टेबलों की तुलना में याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना याचिकाकर्ताओं को दी गई विशुद्ध रूप से आकस्मिक पदोन्नति के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं मिला और इसलिए, निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले और उपयुक्त पाए जाने वाले उन्नत कांस्टेबलों को समायोजित करने के लिए उनके प्रत्यावर्तन को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम के लिए भेजे जाने के दावे को भी श्री रैना ने इस आधार पर चुनौती दी है कि याचिकाकर्ताओं को दी गई आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति उनमें कोई अधिकार पैदा नहीं करती है और वे वरिष्ठ व्यक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

(10) पंजाब पुलिस नियम, 1934 का अध्याय 13 पदोन्नति से संबंधित है। नियम 13.1 यह बताता है कि एक रैंक से दूसरे रैंक में और एक ही रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति, वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। । चयन के उद्देश्य के लिए दक्षता और ईमानदारी मुख्य कारक हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। नियम 13.3 में हेड कॉन्स्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक आदि के पदों पर पदोन्नति के लिए छह पदोन्नति सूचियां ए, बी, सी, डी, ई और एफ तैयार करने की आवश्यकता है।। नियम 13.4 में कार्यवाहक पदोन्नति का प्रावधान है। नियम 13.4 (2) बताता है कि सब-इंस्पेक्टर, सहायक सब-इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यवाहक पदोन्नति पुलिस अधीक्षक और सहायक अधीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की जाएगी। नियम 13.8 में हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति के संबंध में प्रावधान हैं। नियम 13.8.13 परिवीक्षाधीन अवधि को निर्दिष्ट करता है। नियम 13.8 और 13.1 8 जिस पर पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने अपनी दलीलों के समर्थन में भरोसा जताया है, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः -

“13.8. सूची ग. हेड कॉन्सटेबल के रूप में पदोन्नति।-

(1) प्रत्येक जिले में फिल्लौर में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले और हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य माने जाने वाले सभी कांस्टेबलों के लिए एक सूची कार्ड इंडेक्स फॉर्म '[फॉर्म 13.8 (1)] में रखी जाएगी। सूची में भर्ती प्रत्येक कांस्टेबल के लिए एक कार्ड तैयार किया जाएगा और इसमें उपनियम 13.5 (2) के तहत उसकी अंकन और अधीक्षक द्वारा स्वयं या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जिनके तहत कांस्टेबल ने काम किया है कांस्टेबल की योग्यता और

चरित्र के बारे नोट्स होंगे। सूची अधीक्षक द्वारा गोपनीय रूप से रखी जाएगी और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण में इसकी जांच और अनुमोदन किया जाएगा।

(2) 13.9. हेड कांस्टेबल को पदोन्नति उप-

नियम 13.1 (1) और (2) में वर्णित सिद्धांत के अनुसार की जाएगी .

सूची सी में प्रवेश की तिथि भौतिक नहीं होगी, लेकिन योग्यता को शामिल करते हुए योग्यता के उस क्रम को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें परीक्षाएं उत्तीर्ण की गई हैं। ऐसे मामलों में जहां अन्य योग्यताएं समान हैं, पुलिस बल में वरिष्ठता निर्णायक कारक होगी। चयन ग्रेड कांस्टेबल जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन अन्यथा उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें उप महानिरीक्षक के अनुमोदन से अधिकतम दस प्रतिशत रिक्तियों तक हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है।

(3) 13-18. पदोन्नति की परिवीक्षा अवधि.-

रैंक में पदोन्नत सभी पुलिस अधिकारी दो साल के लिए परिवीक्षा पर होंगे, बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में एक विशेष आदेश द्वारा, स्थानापन्न सेवा की अवधि को परिवीक्षा की अवधि में गिनने की अनुमति दे सकता है - परिवीक्षा अवधि के समापन पर ए रिपोर्ट पदोन्नति की पुष्टि करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जो या तो अधिकारी की पुष्टि करेगा या उसे वापस कर देगा।किसी भी मामले में परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उस अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद एक उचित समय के भीतर एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना होगा कि क्या अधिकारी को पुष्टि की जानी चाहिए या वापस किया जाना चाहिए या परिवीक्षा अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही के बिना वापस किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्यावर्तन को नियम 16.4 के प्रयोजन के लिए ह्रास नहीं माना जाएगा।

यह नियम उन कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया है, जिनका मामला नियम 13.5 और 13-14 द्वारा शासित है।"

(11) नियम 13.8 (2) के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नियम 13.1 (1) और (2) में वर्णित सिद्धांत के अनुसार की जानी है । नियम 13.8 (2) के दूसरे भाग में उन चयन ग्रेड कांस्टेबलों की पदोन्नति का प्रावधान है जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में निम्न विद्यालय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन जिन्हें अन्यथा उपयुक्त माना जाता है। हालांकि, इस तरह की पदोन्नति केवल पुलिस उप महानिरीक्षक की मंजूरी से दी जा सकती है और इस तरह की पदोन्नति की अधिकतम संख्या रिक्तियों का दस प्रतिशत हो सकती है।

(12) जैसा कि पहले देखा गया था कि सभी याचिकाकर्ताओं को संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा पदोन्नत किया गया था। इनमें से किसी भी मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक की मंजूरी नहीं ली गई है। यह भी दिखाया गया है कि ये पदोन्नति कुल रिक्तियों के दस प्रतिशत के खिलाफ की गई है। इसके अलावा, सभी पदोन्नतियों को विशुद्ध रूप से अस्थायी और आकस्मिक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें पदोन्नत व्यक्ति को पद धारण करने या हेड कांस्टेबल के पद पर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।पुलिस अधीक्षक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कांस्टेबलों के कैडर में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति दी गई थी और याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति आदेशों में शामिल शर्तों के लिए, ऐसी सभी पदोन्नति को संविधान में निहित समानता खंड के विपरीत होने के कारण रद्द कर दिया जाता। इसलिए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं को नियम 13.8 (2) के अधीन पदोन्नत नहीं माना जा सकता है और जैसा कि नियम 13.18 में विचार किया गया है, उन्हें परिवीक्षा पर नियुक्त मानकर स्वचालित रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती।

(13) हम उल्लेख कर सकते हैं पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा जारी किए गए निर्देशों परिपत्र संख्या 19626-43/बी-3 दिनांक 9 सितंबर, 1993 और परिपत्र संख्या 27926-50/बी-3 दिनांक 27 सितंबर दिसंबर, 1993 में आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर असाधारण साहस, बहादुरी और सूझबूझ दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को एक रैंक पदोन्नति देने के मानदंड निर्धारित किए गए। 9 सितंबर, 1993 के परिपत्र के पैरा (ii) में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक मामले की जांच संबंधित पुलिस अधीक्षक/डी. आई. जी. द्वारा बारीकी से की जानी चाहिए और केवल उन्हीं पुलिस कर्मियों के नामों की सिफारिश की जा सकती है जिन्होंने वास्तव में आतंकवादियों से मुठभेड़ में भाग लिया था। पैरा (iv) में यह भी प्रावधान है कि इस परिपत्र के अनुसार दी गई तदर्थ पदोन्नति अधिकार के रूप में नहीं दी जाएगी, बल्कि योग्यता और रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन होगी और प्रोन्नति पाने वाले को वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। परिपत्र में एक अन्य शर्त यह है कि तदर्थ पदोन्नति के सभी मामलों को पुलिस महानिदेशक/सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। । 27 दिसम्बर, 1993 के परिपत्र ऐसी आकस्मिकता जिसमें तदर्थ पदोन्नत व्यक्ति को संतोषजनक ढंग से काम नहीं करते हुए पाया जाता है और यह ऐसे तदर्थ पदोन्नत व्यक्ति के प्रत्यावर्तन की बात करता है। हमने इस बात पर जोर देने के लिए इन दो परिपत्रों का संदर्भ दिया है कि जैसे ही और जब भी बारी के बाहर पदोन्नति की जाती है, तो हम नियम से हट रहे हैं, पदोन्नत व्यक्ति को पद धारण करने या स्थायी रूप से माने जाने का कोई अधिकार नहीं है।

(14) प्रत्यावर्तन के आक्षेपित आदेशों पर आते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां तक आदेश, अनुलग्नक P.l का संबंध है, इसे 1994 का सीडब्ल्यूपी सं. 18192 में चुनौती दी गई इसमें कोई कारण नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता सुरिंदर सिंह और तीन अन्य को जारी कारण दर्शक नोटिस से पता चलता है कि पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ताओं को वापस भेजना आवश्यक समझा

क्योंकि योग्य कांस्टेबल, जो हेड कांस्टेबल के पदों पर पदोन्नति के लिए सही दावेदार हैं और जो याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ हैं, उपलब्ध हो गए हैं और याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति नियम 13.8 के तहत नहीं की गई थी। (2). यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने लोअर स्कूल कोर्स पास नहीं किया था। 30 अक्टूबर, 1995 के आदेश, जिसे अन्य दो रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है, में विस्तृत कारण हैं। यह इस वादे पर आगे बढ़ता है कि धीरेंद्र सिंह, भगवान सिंह और चंद्र पाल की पदोन्नति उन्हें विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर बढ़ावा दे रही थी और उनमें से किसी को भी इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। नियम 13.18 की प्रयोज्यता के बारे में याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार किया गया है और खारिज कर दिया गया है और हमारी राय में पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ताओं को वापस करने और याचिकाकर्ता सुरिंदर सिंह आदि को वापस करने के प्रस्ताव में कानूनी रूप से कार्य किया। क्योंकि उनमें से किसी को भी नियम 13.8 (2) के तहत पदोन्नत नहीं किया गया है और उन्हें विशुद्ध रूप से अस्थायी और तदर्थ पदोन्नति दी गई , याचिकाकर्ताओं को मूल हेड कांस्टेबल के रूप में माने जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

(15) श्री बल्हारा ने जिन तीन निर्णयों पर भरोसा जताया, उनका इन याचिकाओं के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। *रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त)* में माननीय न्यायमूर्ति अपीलार्थी उल्लेख किया कि अपीलार्थी को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा दस प्रतिशत कोटा के खिलाफ पदोन्नति दी गई थी क्योंकि वह एक खिलाड़ी था और उसकी पदोन्नति को खेल कोटा में माना जाता था। माननीय न्यायमूर्ति ने यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 13.8 (2) ख 1 के अधीन एक सक्षम प्राधिकारी को दी गई पदोन्नति को आकस्मिक नहीं माना जा सकता है और अपीलार्थी को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा, भले ही आदेश में अस्थायी या तदर्थ शब्दों का प्रयोग किया गया हो।

(16) जगत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) और हरदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) में भी याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उनकी पदोन्नति पंजाब पुलिस नियम,1934 के नियम 13.8 (2) के अधीन की गई थी। जगत सिंह के मामले में, प्रतिवादियों द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया था, लेकिन संबंधित मामलों में, प्रतिवादियों ने दलील दी कि हालांकि याचिकाकर्ताओं को पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.8 (2) के तहत पदोन्नत किया गया था, लेकिन उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने नियम 13.8 (2) के संदर्भ में रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया और अभिनिर्धारित किया कि नियम 13.8 (2) के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष की सेवा के पूरा होने के पश्चात् पदोन्नत पदों पर पुष्टि की गई मानी जाएगी।

(17) इन याचिकाओं के तथ्यों का उपरोक्त तीन संदर्भित मामलों के तथ्यों के साथ कोई समानता नहीं है और एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि उन्हें दी गई पदोन्नति नियम 13.8 के अस्तित्व में नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं को हेड कांस्टेबल के रूप में पुष्टि नहीं की जा सकती है। परिणामस्वरूप, अपेक्षित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके वरिष्ठ व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए उनके प्रत्यावर्तन को न तो मनमाना और अनुचित कहा जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है।यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि *नाहर सिंह बनाम हरियाणा राज्य* 1993 के सीडब्ल्यूपी नंबर 592 में न्यायाधीश वी. के. झांजी ने 6 नवंबर, 1995 को निर्णय *और* जगत सिंह के मामले (ऊपर) और हरदन सिंह के मामले में दिए गए पहले के दो फैसलों को खुद खारिज कर दिया है। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति झंजी ने कहा कि जहां नियम 13.2 के तहत प्रदान किए गए दस प्रतिशत रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति नहीं की गई थी, याचिकाकर्ता अपने प्रत्यावर्तन के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता है जो योग्य और उन्नत कांस्टेबलों के लिए जगह बनाने के लिए लाया गया है।

(18) इसी तरह का विचार हमारे द्वारा 2 मई 1996 को तय किए गए 1995 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11747, *सतिर सिंह बनाम हरियाणा राज्य* और अन्य में व्यक्त किया गया है।

(19) उपरोक्त चर्चाओं को, ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि याचिकाओं में योग्यता नहीं है और ये खारिज किए जाने योग्य हैं। तदनुसार आदेश दिया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा.

[1] जे.टी. 1994 (2) एस.सी. 157

[2] 1994 (2) आर.एस.जे 403

[3] 1995 (2) आर.एस.जे. 229

[4] 1995 (2) आर.एस.जे. 282